प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 09 अक्टूबर, 2026

विषय- SNA-SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत Lapse धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

निदेशक, कोषागार के पत्र संख्या- 202609-397/कम्प्यू0/150/पी0एफ0एम0एस0/2025/को0नि0 दिनांक 30 सितम्बर, 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में SNA-SPARSH प्रणाली पर प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष फेल्ड ट्रांजेक्शन, जिनका आहरण शासनादेश संख्या- 12/2016/ए-1-727/दस-2016-10(38)/2014 दिनांक 23 अगस्त, 2016 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक नही किया जा सका एवं जिनके लिये Lapse Certificate कोषागार द्वारा निर्गत किया जा चुका है तथा केन्द्रांश प्राप्त हो चुका है, के वर्तमान वित्तीय वर्ष में भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन माँगा गया है।

2- उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरणों में शासनादेश संख्या- ए-1-1638/दस-99-10(28)/72 दिनांक 25 जून, 1999 में दी गयी प्रकिया के अनुसार निम्नवत कार्यवाही की जाय-

(1) यदि संबंधित मद में चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधान है तो ऐसी देनदारियों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक से किया जाय।

(2) यदि संबंधित मद में चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधान नही है तो ऐसी देनदारियों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से पुनर्विनियोग से किया जाय।

(3) यदि उपर्युक्त (1) व (2) से लंबित देनदारियों का भुगतान संभव न हो तो अनुपूरक मांग के माध्यम से समुचित धनराशि की व्यवस्था कराकर भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।

उपरोक्त प्रक्रिया आगामी वित्तीय वर्षों में, अन्यथा आदेश निर्गत होने तक यथावत् जारी रहेगी। कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

पत्र सं0- 27/2026/ बी-1-1691 /दस-2026, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 1018- जवाहर भवन, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।